वित्तीय स्वीकृति

संख्या- 9/2017/520/52-3-17-बजट(9)/2017

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 02 □□, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के कार्यालय अधिष्ठान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

□□□□□,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-90/□0□0□0□0-52/□□/□□□-प्रा0वि0/ 2017-18, दिनांक 18.04.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रजिस्ट्रार/निरीक्षक, अ□□ □□□□ □□□□□ □0प्र0 के कार्यालय (अधिष्ठान) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 लेखानुदान के अन्तर्गत विभिन्न मदों में कुल रू0 106.50 □□ □□ □□-व्ययक प्राविधान है जिसके सापेक्ष प्रथम पांच माहों का लेखानुदान निम्न प्रकार है:-

(धनराशि लाख 0 में)

क्रम □0	□□ □□ □□	वर्ष 2017-18 में प्राविधानित □□- व्ययक प्राविधान	आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष स्वीकृत 05 □□ □□ □□□□□
1	01 □□□	78.26	32.60
2	02 मजदूरी	0.10	0.04
3	03 मंहगाई भत्ता	3.91	1.62
4	04 यात्रा व्यय	2.00	0.83
5	06 अन्य भत्ते	3.70	1.54
6	07 □□□□□	5.45	2.27
7	08 कार्यालय व्यय	0.55	0.23
8	11 लेखन सामग्री और फार्मों की □□□□	0.28	0.11

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	0.41
10	13 टेलीफोन पर व्यय 0.23	0.23	0.09
11	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद 0.5(	0.50	0.20
12	16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं □□□□□□□□□□	4.00	1.66
13	17 किराया, उप शुल्क और द - स्वामित्व	00	00
14	18 प्रकाशन	0.50	0.20
15	42 अन्य व्यय 0.50	0.50	0.20
16	45 अवकाश यात्रा व्यय	0.10	0.04
17	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.20
18	49 चिकित्सा व्यय	0.20	0.08
19	पुनरीक्षित वेतन का अव (राजकीय)	4.72	1.96
	□□		44.28

3. वित्त (अ□-व्ययक) □□□□-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2017/□□-1-02/ □□-2017-213/2017, दिनांक 02.01.2017 के प्रस्तर-2(4) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार रजिस्ट्रार/निरीक्षक, □□□□ □□□□ □□□□□ □0प्र0 के कार्यालय (अधिष्ठान) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष प्रथम पांच माहों के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने हेतु राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 106.50 लाख के अनुमानित व्यय का 5/12वां भाग ः 0 44.28 □□□ (रू0 □□□□□□ □□□ अठ्ाइस हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

1- कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

2- वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय≤पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण शासन को 31 अगस्त, 2017 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

5- □□□□□ □□ □ □□□ (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों □□□ स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4. उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 □□□□□न संख्या-48 □□ लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवा -001-निदेशन तथा -06 रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा उ0प्र0, इलाहाबाद की सुसंगत इकाईयों के नामे □□□ □□□□□

5. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/□□-1-02/ □□-2017-213/2017, दिनांक 02.01.2017 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(□□□□□ □□0 गर्ग)
प्रमुख सचिव

संख्या-520 (1)/52-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

3-कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□, □0प्र0 □□□□□

4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

5-वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/नि□□□□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(□□□ □□□)
संयुक्त सचिव

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्य□□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।